न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—54/2016/75 (2016/00005)

समस्त ग्रामवासियान ग्राम माखुपुरा, तह0 व जिला अजमेर :—

1. असलम शेरवानी पुत्र उमर दराज खां,
2. जफर मोहम्मर पुत्र हुसैन खां,
3. बादर खां पुत्र रहमत खां,
4. अब्दुल हमीद पुत्र स्माईल खां,

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम माखुपुरा तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेमर जरिये सचिव ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
3. वक्फ कमेटी, मोती कटला, दरगाह बाजार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 (सी) ()/292, दिनांक 27.9.2013 .

उपस्थितः—

1. श्री शहाबुद्धीन खान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .

निर्णय

दिनांकः—29.03.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 (सी)( )/292, दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्शायी भूमियां ग्राम माखुपरा तहसील व जिला अजमर में स्थित है जो कब्रिस्तान/मस्जिद वक्फ की आराजियात है । उक्त आराजियात को विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 (सी)( )/292, दिनांक 27.9.2013 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांटस को बिना सुने प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से खरिज योग्य है । अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात का मौका देखे बिना आदेश पारित किया है जबकि मौके पर कब्रिस्तान एवं मस्जिद आदि बने हुए है तथा मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक होने से हस्तातंरित नहीं की जा सकती थी । विवादित भूमियां वक्फ की सम्पति है जिन्हें टेनेन्सी एक्ट की धारा 46 के तहत विशेष सरंक्षण प्राप्त है । बहस में यह भी कथन किया कि विवादित भूमियों के इंद्राज की दुरूस्ती हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किये गये है । अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि के संबंध मौके एवं रिकार्ड की जांच कराये बिना तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश से विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित की है जो निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का हस्तातंरण आदेश दिनांक 27.9.2013 निरस्त किया जावे।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 से प्रार्थी के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । अप्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए वादग्रस्त आराजी का नामांतकरण अपने पक्ष में गलत दर्ज करवा लिया है जो राज0काश्त0अधि0 की धारा 46 के विपरीत होने से शून्य व अवैध होकर निरस्तनीय है । उक्त अवैध हस्तातंरण की आड़ में अप्रार्थीगण अपीलांटस की आराजियात को अन्यंत्र हस्तातंरण करने पर आमादा है । ऐसी स्थिति में अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति होगी। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश के संबंध में जिला कलक्टर, अजमेर को शिकायत की गई थी लेकिन उसमें आज दिनांक तक कोई कार्यवाही या आदेश नहीं हुए है । राजस्व कर्मचारियों ने दिनांक 10.9.2015 को स्पष्ट रूप से रिकार्ड/आदेश में दुरूस्ती हेतु मना कर दिया और उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की सलाह दी जिस पर अपीलांटस ग्रामवासियान ने अधिवक्ता से संपर्क कर यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि विवादित राजस्व रिकार्ड में सिवायचक होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित करने के आदेश पारित किये है तथा उक्त आदेश की पालना में रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामांतकरण भी स्वीकृत किया जा चुका है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित की जाकर रेस्पो0 संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जा चुकी है । विवादित भूमि से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

10. अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में जो कथन किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुना नहीं गया जिससे अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे । न्यायहित में हम अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

12. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.9.2013 के द्वारा 68 ग्रामों की संलग्न सूची के अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि अजमेर विकास प्राधिकारण को अजमेर विकास प्राधिकरण अधि0 की धारा 48 के तहत अंकित खसरा नंबरान की भूमि को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है । अपीलांटस का कथन है कि अल्पसंख्यक मामला विभाग के परिपत्र दिनांक 24.1.2011 के तहत वक्फ सम्पतियों को राजस्व अभिलेखा में इंद्राज करना चाहिये एवं वक्फ सम्पतियों को धारा 46 टेनेन्सी एक्ट के तहत विशेष सरंक्षण प्राप्त है परन्तु हम इस तर्क से इस कारण सहमत नहीं है कि हस्तातंरित सम्पतियां राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज रही । यदि वक्फ सम्पतियां होती तो वक्फ बोर्ड के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होनी चाहिये । अपीलांट का यह भी कथन है कि मौके पर कब्रिस्तान है जिसके निर्माण व मरम्मत में असुविधा हो रही है । अपीलांट द्वारा तथाकथित कब्रिस्तान का खसरा नंबर अंकित नहीं किया है तथा यह भी अंकित नहीं किया है राजस्व अभिलेख में बतौर कब्रिस्तान अंकित हो । इस कारण हम अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है ।अपीलाधीन भूमियां राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज रही जिसे जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को विधिसम्मत् रूप से हस्तातंरित की गई है । अधी0न्याया0 के आदेश में हम कोई त्रुंटि नहीं पाते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

13. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 (सी)( )/292, दिनांक 27.9.2013 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर